43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 347—तीन/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—12—2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 221/2000—01/निगरानी

.....

प्रहलाद पुत्र भजन रावत,
निवासी— जाखदा, तहसील कराहल,
जिला— श्योपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— लिथरू
2— उदंल
3— शिब्बू
4— भोलो
5— कला पुत्रगण एवं पुत्रियां श्री दौज्या
6— सवो बेवा दौज्या
निवासीगण— ग्राम जाखदा, तहसील कराहल,
जिला— श्योपुर (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदंक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—12—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील कराहल के ग्राम जाखदा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 355 रकबा 0.031 है0, 432 रकबा 0.742 है0 तथा 434 रकबा 0.836 है0, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं। आवेदक प्रहलाद द्वारा विवादित भूमि पर

संहिता की धारा 169,190 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मौखिक अनुबंध के आधार पर भूमिस्वामी बनाये जाने का अनुरोध किया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया । इश्तहार जारी होने के दिनांक से बाद कोई आपत्ति प्राप्त न होने तथा अनावेदकगण द्वारा स्वयं के कथन लिपिबद्ध कराये गये, जिसमें स्वीकार किया गया कि आवेदक प्रहलाद को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को सही होना स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.89 द्वारा विवादित भूमि पर अनावेदकगण के स्थान पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने के कारण आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 260.05.89 दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा अपील दिनांक 22.09.2000 को अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 1/2000–01/अपील माल में दर्ज किया जाकर विचाराधीन आदेश दिनांक 08.06.2001 द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.89 निरस्त किया गया, तथा यह भी निर्देश दिये गये कि सिविल न्यायालय के प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक अनावेदकगण, आवेदक के अधिपत्य में न तो स्वयं ही हस्तक्षेप करेगें और न ही अन्य से करावें। अनुविभागीय अधिकारी,श्योपुरकलां द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2001 से परिवेदित होकर आवेदक प्रहलाद द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई, प्रकरण क्रमांक 221/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.2001 द्वारा अनुविभगीय अधिकारी, श्योपुरकलां के आदेश को यथावत रखा एवं प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपीलीय न्यायालयों ने एक ओर तो दीवानी न्यायालय की निषेधाज्ञा का पालन किये जाने का निर्देश दिया है साथ ही तहसील न्यायालय की आज्ञा को भी निरस्त कर दिया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील के आदेश के विरूद्ध लगभग 10 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी जो सरासर अवधि बाह्य थी। अवधि के प्रश्न का निराकरण किये बिना अपील का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना न्यायोचित नहीं है । गवाहों के कथनों को बिना किसी जांच से संदिग्ध मानना न्यायोचित नहीं है। जब गवाहों के कथन न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष हुहये है

तब उन्हें संदिग्ध नहीं माना जा सकता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि अपीलीय न्यायालयों के मत में प्रारंभिक न्यायालय में विधिवत कार्यवाही नहीं हुई थी तब प्रकरण विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करना चाहिये था । अपीलीय न्यायालयों ने यह मानते हुये भी कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों एवं उभयपक्षकारों पर बंधनकारी है फिर भी तहसील के आदेश को निरस्त किया है जो न्यायोचित नहीं है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर उक्त प्रकरण का निराकरण किये जाने तथा निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुये, अनावेगण के भूमिस्वामित्व की भूमि पर संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकारी घोषित किये गये। अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के न्यायालय में पेश की गई । व्यवहार न्यायालय में आवेदक द्वारा वाद प्रचलित कर दिया गया था । यह प्रश्न विचारणीय है। व्यवहार न्यायालय द्वारा भी यही आदेश पारित किया गया कि प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक शांतिपूर्ण अधिपत्य में अनावेदकगण न तो स्वयं हस्तक्षेप करें तथा न ही अन्य किसी से हस्तक्षेप करायें । अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा पारित आदेश में भी इसी का उल्लेख है कि व्यवहार न्यायालय से अंतिम निराकरण होने तक आवेदक के अधिपत्य में अनावेदकगण हस्तक्षेप नहीं करेंगें और न ही किसी से करायेंगे। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। चुंकि प्रकरण अभी व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन और उसमें अंतिम विनिश्चय होना शेष है। व्यवहार न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय होगा वह राजस्व न्यायालयों तथा उभयपक्षकारों पर बंधनकारी होगा। व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया जावेगा। इस प्रकार मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा पारित आदेश से आवेदक को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होना चाहिये। जहां तक अवधि के बिन्दु पर

विचार करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में भी अनेक वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि बिना सूचना दिये तथा बिना सुनवाई किये पारित आदेश अवैध एवं शून्य है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को न तो सुना गया तथा न ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना ही दी गई। प्रकरण पत्रिका में विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के कथन लिपिबद्ध किये गये हैं, वे भी संदिग्ध प्रतीत होते है, कारण किसी का कथन है तथा किसी अन्य ने हस्ताक्षर कर दिये। जबकि जिस व्यक्ति का कथन है, हस्ताक्षर अथवा अंगूठा भी उसी व्यक्ति का होना चाहिये ऐसी स्थिति में मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है तथा नियमनुसार है, उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां द्वारा पारित विचाराधीन आदेश को यथावत रखा है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ। अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2001 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 31.12.2001 विधिसंगत होने से स्थिर रखे योग्य है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर